

गाजा नरसंहार - इसे किसने कहा

“यदि आप अन्याय की परिस्थितियों में तटस्थ रहते हैं, तो आपने उत्पीड़क का पक्ष चुना है। यदि एक हाथी एक चूहे की पूंछ पर पैर रखता है और आप कहते हैं कि आप तटस्थ हैं, तो चूहा आपकी तटस्थता की सराहना नहीं करेगा।”

— डेसमंड टूटू

परिचय

इज़राइल के गाजा में किए गए कार्यों को नरसंहार कहना भड़काऊ बयानबाजी नहीं है; यह अंतरराष्ट्रीय कानून का अकाट्य सबूतों पर सटीक अनुप्रयोग है। 1948 के नरसंहार संधि के अनुसार, नरसंहार को पहचानना वैकल्पिक नहीं है — यह राज्यों पर रोकथाम और सजा देने की बाध्यकारी जिम्मेदारियां लागू करता है। आज गाजा को देखकर और इसे नरसंहार कहने से इनकार करना उत्पीड़क का पक्ष लेना है।

मीडिया आउटलेट्स से लीक हुई निर्देशिकाएँ और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों से सावधानीपूर्वक तैयार किए गए फॉर्मूलेशन “नरसंहार” शब्द से जानबूझकर बचने को दर्शाते हैं। लेकिन शब्द मायने रखते हैं: नरसंहार अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अपराध है, कोई रूपक नहीं। जब सीमा पार हो चुकी हो, तब इसे नकारना इसे संभव बनाना है। जैसा कि टूटू ने चेतावनी दी थी, गंभीर अन्याय के सामने तटस्थता सह-अपराध है।

यह निबंध उन घोषणाओं, कानूनी निष्कर्षों और चेतावनियों को दस्तावेज करता है — राज्यों, संगठनों, विशेषज्ञों और अदालतों से — जिन्होंने चुप्पी की साजिश को तोड़ा और गाजा की पीड़ा को उसके वास्तविक नाम से पुकारा।

नरसंहार की स्पष्ट घोषणाएँ

- **यूरोपीय संवैधानिक और मानव अधिकार केंद्र (ECCHR, बर्लिन)** — 10 दिसंबर 2024: निष्कर्ष निकाला कि इज़राइल गाजा में नरसंहार कर रहा है।
- **एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी** — 29 जुलाई 2025: घोषणा की कि इज़राइल की जानबूझकर भुखमरी की नीति नरसंहार का गठन करती है।
- **मेडिको इंटरनेशनल** — 29 जुलाई 2025: इज़राइल द्वारा गाजा की व्यवस्थित तबाही को नरसंहार के रूप में निंदा की।
- **तुर्की** — राष्ट्रपति एर्दोआन: इज़राइल के नरसंहार को साबित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) को दस्तावेज प्रदान किए।
- **दक्षिण अफ्रीका** — जनवरी 2024: ICJ के समक्ष इज़राइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दायर किया।
- **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)** — दिसंबर 2023: इज़राइल के युद्ध को “सामूहिक नरसंहार” घोषित किया और दक्षिण अफ्रीका के मामले का समर्थन किया।
- **सऊदी अरब** — क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, नवंबर 2024: इज़राइल के अभियान को “सामूहिक नरसंहार” कहा।
- **मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान** — ICJ की सुनवाई में नरसंहार के ढांचे का स्पष्ट रूप से समर्थन किया।
- **संयुक्त राष्ट्र की इज़राइली प्रथाओं पर विशेष समिति** — नवंबर 2024: पाया कि इज़राइल के कार्य “नरसंहार की विशेषताओं के अनुरूप हैं।”

कानूनी निष्कर्ष

- **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल (2024)** — गाजा में “नरसंहार का संभावित जोखिम” पाया; इज़राइल को नरसंहार के कृत्यों को रोकने और मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए अस्थायी उपाय जारी किए।
- **ICJ, बोस्निया बनाम सर्बिया (2007)** — स्थापित किया कि राज्यों को गंभीर नरसंहार के जोखिम की जानकारी होने पर, सभी उचित रूप से उपलब्ध साधनों का उपयोग करके कार्य करने का कर्तव्य है।
- **शैक्षिक और विशेषज्ञ सहमति (2023-2025):**
 - रज़ सेगल (नरसंहार विद्वान): इज़राइल के हमले को “नरसंहार का पाठ्यपुस्तक मामला” कहा।
 - विलियम शबास (पूर्व अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र गाजा जांच): पुष्टि की कि नरसंहार के तत्व मौजूद थे।
 - फ्रांसेस्का अल्बानेस, बालकृष्णन राजगोपाल, क्रिस सिदोती, और 800 से अधिक विद्वानों ने गाजा पर नरसंहार के ढांचे को लागू करने वाले सार्वजनिक पत्रों पर हस्ताक्षर किए या बयान जारी किए।

मीडिया और संस्थानों द्वारा “नरसंहार” शब्द से बचाव

- **न्यूयॉर्क टाइम्स:** 2024 में लीक हुए संपादकीय मेमो ने पत्रकारों को “नरसंहार”, “जातीय सफाई” और “फिलिस्तीन” जैसे शब्दों से बचने का निर्देश दिया। “युद्ध” के सैनिटाइज्ड ढांचे को प्राथमिकता दी गई; भावनात्मक शब्द इज़राइली हताहतों के लिए आरक्षित थे।
- **पश्चिमी मीडिया:** प्रमुख आउटलेट्स ने बड़े पैमाने पर नागरिक मौतों के बावजूद, फिलिस्तीनियों के लिए “नरसंहार” या “हत्याकांड” जैसे शब्दों का शायद ही कभी उपयोग किया।
- **संयुक्त राष्ट्र:**
 - वरिष्ठ अधिकारियों (उदाहरण के लिए, टॉम फ्लेचर, मार्टिन ग्रिफिथ्स) ने 2025 में नरसंहार के सामने आने की चेतावनी दी।
 - फिर भी, संयुक्त राष्ट्र एक संस्था के रूप में इस बात पर जोर देता है कि केवल अदालतें ही औपचारिक रूप से नरसंहार का निर्धारण कर सकती हैं — एक कानूनी रुख जो अक्सर राजनीतिक तटस्थता को उचित ठहराने के लिए उपयोग किया जाता है।
 - **स्पष्टीकरण:** संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों या सदस्य राज्यों को नरसंहार की विशेषताओं के मौजूद होने पर इसे स्वीकार करने से रोकने वाली कोई कानूनी बाधा नहीं है। अदालतों द्वारा कानूनी निर्णय नैतिक या राजनीतिक मान्यता के लिए पूर्व शर्त नहीं है।

यह परहेज — मीडिया और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों दोनों में — निबंध के केंद्रीय दावे को दर्शाता है: तटस्थता सह-अपराध है, चुप्पी इनकार है।

राज्यों का कार्य करने का कर्तव्य

नरसंहार संधि (1948) और बोस्निया में ICJ का निर्णय (2007) असंदिग्ध हैं: जैसे ही एक राज्य को नरसंहार के गंभीर जोखिम की जानकारी होती है, उसे इसे रोकने के लिए कार्य करने का कानूनी कर्तव्य है। यह कर्तव्य प्रतीकात्मक या बयानबाजी नहीं है — इसके लिए ठोस उपायों की आवश्यकता है।

राज्यों को अपराधी को प्रभावित करने और नरसंहार को रोकने के लिए सभी उचित रूप से उपलब्ध साधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें शामिल हैं: - राजदूतों को बुलाना या निष्कासित करना - हथियारों के हस्तांतरण को रोकना - आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाना - अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की मांग करना - और, यदि आवश्यक हो, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत सामूहिक सैन्य हस्तक्षेप पर विचार करना

यह कर्तव्य **आचरण** और **परिणाम** दोनों का है: इशारे पर्याप्त नहीं हैं। निष्क्रियता सह-अपराध है।

जैसा कि मारियो सावियो ने 1964 में घोषणा की थी:

“एक समय आता है जब मशीन का संचालन इतना घृणित हो जाता है, आपके दिल को इतना बीमार कर देता है, कि आप इसमें भाग नहीं ले सकते। आप निष्क्रिय रूप से भी भाग नहीं ले सकते। और आपको अपने शरीर को गियर्स और पहियों पर, लीवर पर, पूरे तंत्र पर डालना होगा, और आपको इसे रोकना होगा।

और आपको उन लोगों को दिखाना होगा जो इसे चलाते हैं, जो इसके मालिक हैं, कि जब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं, मशीन को पूरी तरह से काम करने से रोका जाएगा।”

गाजा में नरसंहार की मशीनरी चलती रहती है। जो राज्य नजरें फेर लेते हैं, या इससे भी बदतर, अपराधी को हथियार देते हैं, वे इसके पहियों को चिकनाई देते हैं।

समापन टिप्पणी

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जलवायु पर उदात्त निर्णयों के साथ ग्रह को बचाने की बात करता है, लेकिन एक सक्रिय, टेलीविजन पर प्रसारित नरसंहार के सामने हिचकिचाता है। गाजा को टूटे हुए जीवन का कब्रिस्तान बना दिया गया है, जबकि हस्तक्षेप करने की शक्ति रखने वाले राज्य — जिन्होंने नरसंहार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं — राजनीति से लकवाग्रस्त रहते हैं या समर्थन के माध्यम से सह-अपराधी हैं।

यह उन लोगों का अपराध है जिन्होंने नरसंहार को हथियार दिए, सत्य को चुप कराया और गाजा के जलते समय अपराधी की रक्षा की।

कल्पना करें — आपके लोग बेरहम बमबारी के तहत तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं, भूखे, दवाओं से वंचित, अपने बच्चों को एक-एक करके मरते देख रहे हैं, जबकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य नरसंहार को हथियार देते हैं और “तटस्थता” की बात करने की हिम्मत करते हैं।

तटस्थता तटस्थता नहीं है। यह उत्पीड़क का पक्ष लेना है।

यह पाखंड केवल निंदा के योग्य है। इतिहास न केवल इस नरसंहार के अपराधियों को याद रखेगा — बल्कि सह-अपराधियों को भी।

संदर्भ

1. **ICJ अस्थायी उपाय – अंतरराष्ट्रीय न्यायालय**, “गाजा पट्टी में नरसंहार की रोकथाम और सजा के लिए संधि का अनुप्रयोग (दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल), 26 जनवरी 2024 का आदेश।”
2. **बोस्निया बनाम सर्बिया – ICJ निर्णय**, “नरसंहार की रोकथाम और सजा के लिए संधि के अनुप्रयोग से संबंधित मामला (बोस्निया और हर्जगोविना बनाम सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो), 26 फरवरी 2007 का निर्णय।”
3. **रज़ सेगल – Jewish Currents**, “नरसंहार का एक पाठ्यपुस्तक मामला,” अक्टूबर 2023।
4. **विलियम शबास** – विभिन्न सार्वजनिक साक्षात्कार और पैनल बयान (2024–2025)।
5. **फ्रांसेस्का अल्बानेस और अन्य** – संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा सदस्य राज्यों को संयुक्त पत्र, 2024।
6. **न्यूयॉर्क टाइम्स मेमो** – लीक हुई संपादकीय मार्गदर्शन, अप्रैल 2024 (**The Intercept** के माध्यम से)।
7. **OIC बयान** – “गाजा पर OIC असाधारण इस्लामिक शिखर सम्मेलन घोषणा,” दिसंबर 2023।
8. **ECCHR बयान** – ECCHR प्रेस विज्ञप्ति, दिसंबर 2024।
9. **एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी** – भुखमरी को नरसंहार के रूप में बयान, 29 जुलाई 2025।
10. **मेडिको इंटरनेशनल** – गाजा की तबाही पर बयान, 29 जुलाई 2025।
11. **संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति रिपोर्ट** – वार्षिक रिपोर्ट, नवंबर 2024।
12. **वैश्विक दक्षिण के राज्यों के बयान** – ICJ मौखिक सुनवाई, 2024–2025।